नोट :- मूल प्रति Abhimanyu Yadav को दे दी गई है 26/2/24

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण

पत्रांक : गोप0 / 331
दिनांक : 26/2/24

विज्ञप्ति

विषय : नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत लघु शोध प्रबन्ध विषय के अंक तृतीय वर्ष के षष्ठम सेमेस्टर के अन्त में पोर्टल पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

संज्ञान में आया है कि लघु शोध प्रबन्ध विषय के अंक पोर्टल पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय स्तर पर भ्रांति विद्यमान है। कई महाविद्यालयों द्वारा लघु शोध प्रबन्ध विषय के अंक पंचम सेमेस्टर में ही अपलोड किये जा रहे हैं जबकि लघु शोध प्रबन्ध विषय के अंक तृतीय वर्ष के षष्ठम सेमेस्टर के अन्त में पोर्टल पर अपलोड किये जाने हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत विज्ञप्ति संख्या–गोप0 / 1868, दिनांक 25.10.2023 पूर्व में ही जारी की जा चुकी है।

उक्त विज्ञप्ति के बिन्दु–7 में लघु शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख है जो निम्नवत् हैं :–

1. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के पंचम व छठे सेमेस्टर में मिलाकर एक लघु शोध परियोजना करनी होगी।
2. यह शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग / इण्टरनशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
3. शोध परियोजना सम्बन्धित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर के विभाग के एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
4. विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टरों में की गयी शोध परियोजना का संयुक्त प्रबन्ध (Report/ Dissertation) जमा करेगा। जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। जिसके उत्तीर्णांक 40 होंगे। यह शोध परियोजना केवल क्वालीफाईंग होगी, जिसमें 40 अथवा उससे अधिक अंक पाने पर Q Grade तथा 40 से कम अंक पाने पर NQ Grade दिया जायेगा।

अतः सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों / संस्थानों के प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक से पुनः अनुरोध है कि उक्त नियमों से स्वयं अवगत होते हुए अपने छात्र / छात्राओं को भी अवगत कराने तथा निश्चित समय पर नियमानुसार अंक पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

26.2.2024
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सादर संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
3. समस्त महाविद्यालयों / संस्थानों के प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र / रिजल्ट सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मैसर्स आई0टी0आई0 लि0 एवं मैसर्स एन0आई0पी0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, वेबसाईट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता को इस आशय से प्रेषित कि वे छात्र हित में उक्त सूचना विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त जिलों के सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव (गोपनीय)